

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

Item no. 2 – Shri Ravi Shankar Prasad.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, we had raised a very important issue yesterday. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप पहले पेपर लेड होने दें।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, Speaker, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.630(E) in Gazette of India dated 12th July, 2018 under sub-section (3) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 9722/16/18]

2. A copy of the High Court Judges Travelling Allowance Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.631(E) in Gazette of India

dated 12th July, 2018 under sub-section (3) of Section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 9723/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

1. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 1. Review by the Government of the working of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
 2. Annual Report of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9724/16/18]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9725/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9726/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural

Centre, Nagpur, for the year 2015-2016.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9727/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2016-2017.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9728/16/18]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 9729/16/18]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2016-2017.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 9730/16/18]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2016-2017.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 9731/16/18]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2016-2017,

alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2016-2017.

- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 9732/16/18]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang, for the year 2016-2017.

- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 9733/16/18]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 9734/16/18]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2016-2017.
- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 9735/16/18]

- (21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017.

- (22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 9736/16/18]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016.

- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 9737/16/18]

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2016-2017.

- (26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 9738/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

1. The Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.244(E) in Gazette of India dated 20th March, 2018.
2. The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.280(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.
3. The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.520(E) in Gazette of India dated 1st June, 2018.
4. The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2018

published in Notification No. G.S.R.279(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9739/16/18]

(2) A copy of the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.675(E) in Gazette of India dated 25th July, 2018 under sub-section (3) of Section 27 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 9740/16/18]

(3) A copy of the Notification No. S.O.1964(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th May, 2018, containing order regarding appointment Shri Ashok Lahiri as a Member (Part time) of the Fifteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution read with Section 6 and 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 9741/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

1. The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of 350th Birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.281(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.
2. The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.99(E) in Gazette of India dated 31st January, 2018.
3. The Coinage (Issue of Commemorative coins on the occasion of 125th Birth Anniversary of Prasanta Chandra Mahalanobis) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 28th June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9742/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9743/16/18]

- (2) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9744/16/18]

- (4) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9745/16/18]

- (5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एएक्स1/एसटी/पेंशन रेंज/1524/2017-18 में प्रकाशित

हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एएक्स1 / एसटी / ओएसआर / 1324/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9746/16/18]

(6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) साकानि 718(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 फाइल करने की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) साकानि 692(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 693(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 694(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यक्षीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) साकानि 695(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती सीजीएसटी दर विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9747/16/18]

(7) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) साकानि० 696(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) साकानि 697(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 698(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यक्षीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 699(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती आईजीएसटी दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9748/16/18]

(8) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) साकानि 700(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) साकानि 701(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 702(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यापगत होने के अध्यक्षीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 703(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती यूटीजीएसटी दर विहित कई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9749/16/18]

(9) प्रतिकर उपकर माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या साकानि 704(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट माल पर प्रतिकर उपकर दरें विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9750/16/18]

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं० साकानि 705 (अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक विपणन संस्थाओं को खुला समुद्र विक्रय आधार पर जिस मूल्य (कीमतों में पूल) पर यूरिया का विक्रय किया जाता है उस मूल्य से अधिक निर्धारणीय मूल्य पर परिकलित आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (5) के अंतर्गत साकानि717(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम के शीर्षक 8541 के अंतर्गत आने वाले 'मोड्यूल या पैनल में असेम्बल किए गए या नहीं किए गए सोलर सेल' के आयात पर 2 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना है, की एकप्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानकओ० एण्ड एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 8 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० रेग./11/25/आयात संशोधन/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 26 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/ओएण्ड एफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011, जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एफ० 14-369(98) को-आर्डिनेशन सेल/स्था1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1981, जो 10 अक्टूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 914 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2012, जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-3/69(98) को-आर्डिनेशन सेल/स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1998, जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 373(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2003, जो 7 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 14-3/69/स्था०2 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2009, जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 20-7/2007-स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999, जो 26 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 14-3/69/99/स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप- धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० एफ० सं० एनसीटीई-आईजीएल 012/16/2018, जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं० एफसं० 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9755/16/18]

(2) (एक) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख। (दो) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9756/16/18]

(4) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9757/16/18]

(6) (एक) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख। (दो) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9758/16/18]

(8) (एक) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9759/16/18]

(10) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9760/16/18]

- (12) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखो
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9761/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS(SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay on the Table a copy of the Sashastra Seema Bal (Combatised Engineering Cadre Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.220 in weekly Gazette of India dated 21st July, 2018 under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 9762/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the years 2010-2011 and 2011-2012.
 - (ii) Annual Report of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the years 2010-2011 and 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9763/16/18]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कवारत्ती के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9764/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Mansukh L. Mandaviya, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9765/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay on the Table a copy of the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3663(E)/Ess.Com/Sugarcane published in Gazette of India dated 26th July, 2018 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 9766/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 2016- तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9767/16/18]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9768/16/18]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9769/16/18]

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9770/16/18]

(9) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 9771/16/18]

(10) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9772/16/18]

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9773/16/18]

(14) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक- एकप्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9774/16/18]

(16) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016- 2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9775/16/18]

(18) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9776/16/18]

(20) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ-1-2/2017 (ईसी/पीएस) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018, जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ1- 19/2016(सीपीपी-दो/डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन और साहित्यिक चोरी का निवारण) विनियम, 2018 जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ 1-18/2010(सीपीपी-2) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9777/16/18]

(21) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचनासंख्या सीयूके/ एडमिन/अध्यादेश/2010 जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के, 20 अध्यादेशों के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9778/16/18]

=====